न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 08/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गेनाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी माण्डलजोधा तहसील डेगाना।		नायब तहसीलदार डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 02.11.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 133/2018 सरकार बनाम गेनाराम में निर्णय दिनांक 28.12.2018 के तहत मौजा माण्डलजोधा के खसरा नं. 181 गै.मु. सडक भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.01.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.02.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 28.12.18 की फोटोप्रति, प्रकरण सं. 133/18 के फर्द अहकाम दिनांक 25.10.18 से 28.12.18 तक की फोटोप्रति, जमाबंदी (खतौनी) ग्राम माण्डलजोधा संवत 2051 से 2054 की फोटोप्रति, नक्शा नया की फोटोप्रति, नक्शा पुराना की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, स्थगन प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति तथा स्थगन आदेशिका की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व, बिना वास्तविक जांच किये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सामान्य न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–पटवारी को उक्त अपीलांट की भूमि अपीलांट के कब्जे व खातेदारी, उपयोग उपभोग की होना व उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा व उपयोग निरंतर रहते चले आने की संपूर्ण जानकारी होते हुए भी पटवारी ने राजनैतिक द्वेषता से अपीलांट का नया अतिक्रमण बताते हुए तहसील कार्यालय मे गलत रिपोर्ट पेश की है। जिसका विस्तृत खुलासा अपीलांट ने तहसील कार्यालय मे अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब व समर्थन मे सबूत के तौर पर दस्तावेजी सबूत पेश कर लिखित मे निवेदन किया कि उक्त जायगा गै.मु. सडक की न होकर अपीलांट की खातेदारी की जायगा है। जिस पर उसका पीढियों से कब्जा रहता चला आया है व सडक की जायगा किसी अन्य व्यक्तियो द्वारा दबाई हुई है व अपीलांट की मौजूदगी मे अपीलांट के खातेदारी के खसरा नं. 228 रकबा 2 बिस्वा का नाप चोप कर चिन्हित कर दे। लेकिन अपीलांट के आवेदन पर कोई गौर नही कर व अपीलांट के दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुए नायब तहसीलदार डेगाना ने बाले बाले निर्णय जैर अपील अतिक्रमी मानकर पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।

{2}(III)–अपीलांट के खातेदारी व कब्जासुद बाडे पर नाप चोप करने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि अपीलांट के बाडे का गलत नाप चोप कर अपीलांट के पीढियों पुराने कब्जा उपयोग के बाडे से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है व नये सेटलमेंट मे गलत हुई तरमीम के आधार पर अपीलांट के विरूद्व गलत ढंग से कार्यवाही की जा रही है। तब अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना के समक्ष तरमीम दुरूस्ती हेतु व साथ ही अपीलांट को अपनी खातेदारीसुदा कब्जासुद उपयोग उपभोग की भूमि से बदेखल नही करने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जिस पर सहायक कलक्टर डेगाना ने अपीलांट को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल नही करने व गेर सायलान को कोई आपति हो तो न्यायालय के समक्ष अपनी चाराजोही करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.01.17 को पाबंद किया था। जिससे उक्त आदेश से अप्रार्थीगण पाबंद है। उक्त प्रकरण मे तहसीलदार व

अपर कलक्टर, नागौर

पटवारी अप्रार्थी पक्षकार थे व है। इसके बावजूद पटवारी व नायब तहसीलदार ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते हुए भी व उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलांट के विरूद्व की गयी 91 की कार्यवाही की पत्रावली मे भी पेश की गयी थी, लेकिन नायब तहसीलदार ने न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना के आदेश की खुली अवहेलना करते हुए निर्णय जैर अपील पारित करने मे भारी कानूनी व वाकियाति त्रुटि की है।

{2}(IV)–वर्तमान बंदोबस्त मे तरमीम गलत हो जाने पर व अपीलांट के बाडे के खसरा नं. 228 को नक्शे मे खसरा नं. 224 से 235 तक मे शामिल करते हुए सभी खसरान को एक खसरे के रूप मे दर्शाते हुए गलत तरमीम कर दी। जबकि अपीलांट का वर्तमान खसरा नं. 228 पर ही कब्जा है। लेकिन वर्तमान मे हुई गलत तरमीम के नक्शे मे अपीलांट के खसरा नं. 228 को नही दर्शाने से उक्त विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाने से तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही करनी पडी व न्यायालय मे मामला आज भी विचाराधीन है। तरमीम दुरूस्ती होकर रेकर्ड मे आवश्यक दुरूस्ती होनी है। इसके बावजूद भी इस तरह का आदेश पारित कर देने से अपीलांट की उक्त तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा व अपीलांट के विधिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा, ऐसी स्थिति मे न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना के यहां चल रही विधिक कार्यवाही के अंतिम निस्तारण तक नायब तहसीलीदार को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई विधिक अधिकार नही था, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश की खुली अवहेलना करते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो विधि सम्मत नही है, अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय व उनके अधीनस्थ पटवारी व आरआई को उक्त खसरा नं. 228 की भूमि अपीलांट की खातेदारी की होना व पीढियो से अपीलांट का कब्जा उपयोग उपभोग रहते आने की जानकारी होते हुए भी गलत रूप से अपीलांट के विरूद्व 91 की मिथ्या कार्यवाही प्रतिवर्ष गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण लोगो की सिखावट मे आकर की जा रही है व इस कार्यवाही मे भी गलत रूप से दुबारा अपीलांट द्वारा कब्जा करना बताकर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उसके विरूद्व दण्डात्मक व बेदखली के आदेश पारित कर दिये है। उक्त आदेश शुरू से ही अवैध था व है तथा ऐसे आदेश को अपील के जरिये निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। क्योंकि अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि या सडक की भूमि पर न तो कभी कब्जा था न आज दिन है। उक्त जायगा अपीलांट की पीढियों पुरानी कब्जासुद स्वामित्व की रही है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा माण्डलजोधा में स्थित गै.मु. सडक पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके माण्डलजोधा के खसरा नंबर 181 गै.मु. सडक पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. सडक है। इससे पूर्व मे प्रकरण सं. 388/17 मे दिनांक 17.3.17 को बेदखली आदेश पारित हुए। जिसकी पालना मे भौतिक रूप से बेदखली कार्यवाही की गई है। जिससे अतिक्रमण की पुनरावृति भी होना साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर नागौर